राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(9)ग्रावि/नरेगा/है.लाईन/पार्ट–3/08–09 जयपुर, दिनांक : 08 MAY 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा श्रमिकों की कार्य की मांग दर्ज किए जाने के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय पत्रांक एफ1(2)ग्रावि/नरेगा/भा.स./माद/2010–11 पार्ट–2 दिनांक 31.01.2011, 04.02.2011, 12.05.2011, 24.01.2012 एवं विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 18.12.2012**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों की कार्य की मांग दर्ज किए जाने हेतु रोजगार मांग प्रपत्र फार्म न. 6 विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने, प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने के संबन्ध में निर्देश जारी किए गए है। विभिन्न स्तरों से राज्य सरकार को प्राप्त फीड बैक से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि योजनान्तर्गत श्रमिकों की कार्य की मांग दर्ज किए जाने हेतु फार्म न. 6 उपलब्ध नही है अथवा **कार्य की मांग सुचारू रूप से दर्ज नही हो पा रही** है। **रोजगार की मांग दर्ज** किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित **कॉल सेन्टर पर भी प्रावधान** किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **कार्य की मांग श्रमिकों का अधिकार** है। इस संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि योजनान्तर्गत **कार्य की मांग दर्ज किए जाने की प्रकिया का व्यापक प्रचार–प्रसार किया** जावे। इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :–

- संलग्न प्रपत्रानुसार सूचना **प्रत्येक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर दीवार लेखन** के रूप में लिखवाई जावे। ग्राम सेवक पदेन ग्राम सचिव की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के **अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम में कम से कम 5 स्थानों पर** उक्तानुसार सूचना दीवार लेखन के रूप में कराई जायेगी।

- संलग्न प्रपत्रानुसार **पम्पलेट छपाए** जाकर **प्रत्येक राजस्व ग्राम में अधिकतम 200** पम्पलेट वितरीत किये जावे/दीवारों पर चिपकाये जावे। विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 18.12.2012 द्वारा भी इस प्रकार के निर्देश जारी किये गये है।

- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं अन्य स्थानों पर दीवार लेखन के संबन्ध में सूचना राजीव गांधी सेवा केन्द्र की मॉनीटरिंग हेतु स्थापित वैब पेज reilsolar.com पर नियमित रूप से अपडेट की जावे।

E:\MUKESH VIJAYJI\EGS Letter V\Hindi letter 2012-13.doc

उक्त समस्त कार्यवाही **31.05.2013 तक** पूर्ण की जावे एवं **वैब साइट** reilsolar.com पर **प्रगति का नियमित रूप से इन्द्राज किया जावे।**

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी **संबन्धित विकास अधिकारी की होगी। निर्धारित दिनांक तक कार्यवाही नही किये जाने पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत संबन्धित विकास अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।**

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

राजस्थान सरकार

महात्मा गांधी नरेगा में कार्य की मांग एकदम आसान

टोल फ्री | **निःशुल्क**

1800 1806 606

- समस्या समाधान
- सहायता–पूछताछ
- कार्य की मांग दर्ज कराने की सुविधा

प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 6 बजे तक

- कार्य की मांग हेतु **फार्म न. 6** ग्राम पंचायत कार्यालय के **अतिरिक्त सरपंच, वार्ड पंच, नरेगा कार्यस्थल, मेट, राशन की दुकान, पटवार घर, निरीक्षक भू–अभिलेख, आंगनबाडी केन्द्र, आशा सहयोगिनी** के पास भी उपलब्ध,
- **सादा कागज पर भी आवेदन** से कार्य की **मांग की जा सकती** है,
- फार्म जमा कराने पर **प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे,**
- कार्य की **मांग पूरे वर्ष** कार्यालय समय पर की जा सकती है,
- फार्म न. 6 **उपलब्ध नही होने, प्राप्ति की रसीद उपलब्ध नही कराने, सादा कागज पर आवेदन स्वीकार नही करने** पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के **टोल फ्री नम्बर 1800 180 6606 पर कार्य की मांग एवं शिकायत दर्ज करावे,**

याद रखें–

महात्मा गांधी नरेगा योजना में **कार्य की मांग आपका अधिकार** है। यदि आप **योजना में कार्य करना चाहते** है तो **आज ही फार्म न. 6 अथवा सादे कागज पर कार्य की मांग दर्ज करावे** एवं **प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे** या फिर **नरेगा कॉल सेन्टर 1800 1806 606** का उपयोग करे।